सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

धर्मपाल
उप सचिव
Dharam Pal
Deputy Secretary
TELFAX : 23364193

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
225, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
225, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

सं. सी/11/2006-एमपीलैड्स

Dated ..... **29 जून, 2010**

सेवा में

सभी नोडल जिला प्राधिकारी
(जिला कलेक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/आयुक्त, नगर निगम/
जिला आयोजना समितियों के सीईओ)

विषयः एमपीलैड्स -- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बसावट वाले क्षेत्रों का विकास ।

महोदय/महोदया,

मुझे एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2005 के पैरा 2.5 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सांसदों द्वारा अनुसूचित जाति की आबादी के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए एमपीलैड्स निधि से कम से कम 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए एमपीलैड्स निधि से 7.5 प्रतिशत की लागत के कार्यों की प्रति वर्ष अनुशंसा की जानी है । दूसरे शब्दों में, प्रति सांसद 2 करोड़ रु. के वार्षिक आबंटन में से अनुसूचित जाति की आबादी के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 लाख रु. तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए 15 लाख रु. की लागत के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा की जाएगी । यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की बसावट वाला कोई क्षेत्र नहीं है, तो ऐसी निधि का अनुसूचित जाति के बसावट वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाए और यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बसावट वाला कोई क्षेत्र नहीं है, तो ऐसी निधि का अनुसूचित जनजाति के बसावट वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाए । दिशानिर्देशों के इस प्रावधान को लागू करने की जिम्मेवारी जिला प्राधिकारी की होगी ।

2. इस मामले पर विभिन्न मंचों में चर्चा की जाती रही है । तथापि, इस मंत्रालय के ध्यान में आया है कि अधिकांश जिला प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त अनुबंध का पालन नहीं किया जा रहा है ।

3. अतः पुनः अनुरोध है कि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए कार्यों की अनुशंसा करने के लिए सांसदों को प्रेरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए और इसकी सूचना मंत्रालय को दी जाए ।

भवदीय,

(धर्मपाल)
उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स नं. 23364193

प्रतिलिपिः-

(1) एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति ।
(2) एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति ।
(3) सचिव, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल मंत्रालय ।
(4) एनआईसी को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।